तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम की तामील
7/3/2021	वकील वादी उप0। संशोधित रिकॉर्ड व वकालतनामा कायम मुकदमा पेश हुआ। बहस वकील वादी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 10/3/2021 को पेश हो।	
10/03/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उप0। प्रतिवादी से रिपोर्ट मय राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त हो चुकी हैं। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीगण के पिता के नाम राजस्व ग्राम डेहरा जोहडी में खातेदारी भूमियां हैं। वादीगण के पिता को हरजी द्वारा गोद लेने से वादीगण के पिता के सम्पूर्ण दस्तावेजों में वादीगण के पिता के पिता का नाम हरजी राम हैं। राजस्व ग्राम डेहरा पटवार हल्का डेहरा जोहडी तह. नीमकाथाना की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 96 में वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र हरजी हैं तथा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 10, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के भूमि खाता संख्या 11 में वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र तिलोका दर्ज हैं। तिलोका, कजोड का प्राकृतिक पिता है परन्तु कजोड को हरजी द्वारा गोद लेने के कारण वादीगण के पिता के सभी दस्तावेज कजोड पुत्र हरजी के नाम से बने हुए हैं। अतः भूमि खाता संख्या 11 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में भी वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र हरजी किया जावें। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किये हैं जिनमें वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र हरजी राम है। वाद पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में वादी संख्या 1/6 मदनलाल पुत्र कजोड ने नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं प्रति[illegible] किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र तिलोका अंकित है। वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र हरजी है की पुष्टि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जिनमें वादीगण के पिता का नाम कजोड पुत्र हरजी है से होती है तथा इन तथ्यों की पुष्टि वादी संख्या 1/6 द्वारा प्रस्तुत नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Ku
Date: 2021.03.29 17:55:06 IS
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
दस्तावेजात एवं प्रतिवादी रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 233, 236, 237, 238 कुल किता 4 कुल रकबा 5.24 है0 पटवार हल्का डेहरा जोहडी तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार **कजोड पुत्र तिलोका** हिस्सा 63/262 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर **हिस्सा 63/262 वादीगण 1/1 लगायत 1/7** को हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल–दरामद की जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:06 IST
Reason: SelfAttested